


मध्यप्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
मंत्रालय  
आदेश

भोपाल, दिनांक 16/08/2016

क्रमांक एफ 10-15/2015/सत्रह/मेडि-2 :: राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश में मल्टी एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों की स्थापना तथा स्पेशलिटी नर्सिंग कोर्स में पोस्ट बेसिक डिप्लोमा को प्रोत्साहित करने हेतु "मध्यप्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन योजना 2016" का अनुमोदन किया जाकर यह भी निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2012/2014 की मूल अवधारणा को यथावत रखते हुए विभाग अपने स्तर पर योजना के संबंध में प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर आवश्यक स्पष्टीकरण/संशोधन किया जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(गिरीश कुमार नेगी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग


पृष्ठांकन क्रमांक एफ 10-15/2015/सत्रह/मेडि-2

भोपाल, दिनांक 16/08/2016

प्रतिलिपि :

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल (कृपया आदेश वेबसाईट पर अपलोड करावें)।
5. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट) 1-2, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
6. संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
8. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल।
9. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।

11. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश ।
  12. अपर संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल । (कृपया आदेश वेबसाईट पर अपलोड करावें ।)
  13. अपर संचालक (वित्त/प्रशासन) स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल ।
  14. संभागीय समस्त संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश ।
  15. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश ।
  16. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
  17. अनुभाग अधिकारी, शाखा 1, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ।
  18. गार्ड फाईल ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत ।

  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग